न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड़ अधिकारी खैरवाड़ा जिला–उदयपुर (राज.)

निर्णय द्वारा पीठासीन अधिकारी–राकेश कुमार न्योल (R.A.S.)

प्रकरण संख्या–21/2020 वाद पत्र

दायर दिनांक– 03.06.2020

निर्णय दिनांक– 01.02.2023

1. श्री आशिष पुत्र स्व. रतिलाल जाति मीणा
2. श्री जयन्तिलाल स्व. रतिलाल जाति मीणा
3. श्रीमती रमीला देवी पत्नी स्व. रतिलाल जाति मीणा
4. श्रीमती जीवली पत्नी नाथु जाति मीणा

सभी निवासी–हीका, फला–रिछिमेरा, तहसील खैरवाड़ा, जिला–उदयपुर (राज.)

–वादीगण–

बनाम

1. श्री मगन पुत्र धरमा जी मोडीया जाति मीणा
2. श्री प्रवेश पुत्र मगन मोडीया जाति मीणा
3. श्री अशोक पुत्र मगन मोडीया जाति मीणा
4. श्री अजीत पुत्र मगन मोडीया जाति मीणा
5. श्री अजय पुत्र मगन मोडीया जाति मीणा
6. श्रीमती ट्विकंल पत्नी अशोक मोडीया जाति मीणा

सभी निवासी अकोट तहसील खैरवाड़ा जिला उदयपुर (राज.)

–प्रतिवादीगण–

वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 183, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वादी के वाद का संयुक्त विवरण इस प्रकार है कि वादीगण के खाते व कब्जे काश्त की कृषि भूमि मौजा हीका पटवार सर्कल सारोली की जमाबंदी संवत् 2075 से 2078 की आराजी नम्बर 1046/507 रकबा 1.08 हैक्टर होकर वादीगण के बड़े पिता के नाम सन् 1982 में आवटंन हुई थी। उसके पूर्व से वर्तमान समय तक वादीगण निरन्तर काबिज चले आ रहे है। वादीगण के पिता एवं दादा का स्वर्गवास होने से वारिसान से प्राप्त हुई है। आवटंन से पूर्व पूर्वजों का कब्जा होने से आवटंन हुई थी। निरन्तर काबिज होकर बाप–दादाओं के समय से खेती करते आ रहे है तथा उपयोग–उपभोग करते आ रहे है। उक्त भूमि पर सागवान तथा अन्य प्रकार के वृक्ष भी लगा रखे है जो काफी बड़े हो गये है। वादीगण ने अपने खाते एवं कब्जे शुदा भूमि में अपने परिवार सहित वादग्रस्त भूमि पर खेती कर उसका उपयोग–उपभोग शान्तिपूर्वक करते आ रहे है। सन् 1982 से आज तक वादीगण व उसके परिजनों को किसी ने भी उक्त आराजी पर बेदखल व उपयोग–उपभोग करने से कभी किसी ने व्यवधान उत्पन्न नही किया नही किसी ने परेशान किया। वादग्रस्त भूमि से प्रतिवादीगण का कोई लेना देना या वास्ता नही है। लेकिन जानबुझकर डरा धमका कर व लडाई झगडा कर परेशान का वादीगण को उक्त भूमि से बेदखल करने की मन्शा रखते है। तथा वादीगण को खेती करने व उनके उपयोग–उपभोग मे व्यवधान पैदा कर रहे है। वादग्रस्त भूमि के सीमा पर थुअर की बाड लगा रखी है जिसको काटकर जबरन अतिक्रमण किया जा रहा है। दिनांक 18.05.2020 को दोपहर करीबन 12:00 बजे के आस–पास सभी प्रतिवादीगण मिलकर मां बहनो की बुरी–बुरी गाली–गलोच करते हुए हाथों में लट्ठ कुल्हाडी गैती फावडा, पत्थरों से लेस होकर वादीगण के खाते एवं कब्जे शुदा जमीन में अविधिक रूप से प्रवेश कर उक्त वर्णित भूमि के सीमा पर लगी थुअर को काटना शुरू कर दिया तथा बीड में सागवान के वृक्ष काटकर अपने साथ ले जाने लगे जिस पर वादीगण द्वारा टोके जाने पर जान से मारने की धमकियां देने लगे जिससे भयभीत होकर वादीगण ने उक्त दावा आप न्यायालय में पेश किया है। प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाना आवश्यक हो गया है।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण द्वारा अधिवक्ता श्री बसंत कुमार व्यास व श्री दिलीप कुमार व्यास को अधिवक्ता नियुक्त कर वकालतनामा पेश किया दौराने कार्यवाही प्रतिवादी अधिवक्ता ने दिनांक 27.01.2021 को नो–इन्ट्रशन किया गया। प्रतिवादीगण स्वयं उपस्थित नही होने से एकतरफा कार्यवाही अमल में ली गई। तथा वादीगण की तरफ से श्री जयन्ति का शपथ–पत्र गवाह के

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
खेरवाडा, जि. उदयपुर (राज.)

Scanned with CamScanner

रूप में पेश किया है नक्शा ट्रेस EX-2 है, जमाबंदी संवत् 2075 से 2078 EX-3 है। जो दस्तावेज के रूप में पेश किये है। वादी एवं उनके अधिवक्ता और कोई शहादत-सबूत पेश नही करना चाहते है। वादीगण की शहादत बंद की जाकर एक पक्षीय बहस वादी वकील की सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता वादी का मुख्य रूप से कथन हे कि मौजा हीका की जमाबंदी सवत् 2075 से 2078 के खाता संख्या 71 नया व पुराना 67 की आराजी नम्बर 1046/507 रकबा 1.08 हेक्टर कृषि भूमि के एकमात्र खातेदार व काबिज वादीगण हैं। उक्त भूमि वादीगण के बड़े पिता से पिता के नाम विरासत से प्राप्त हुई है पूर्व में इस भूमि पर बडे पिताजी का कब्जा चला आ रहा था। उनके स्वर्गवास के बाद पिताजी व पिताजी की मृत्यु के बाद से वादीगण को मिली है। प्रतिवादीगण का उक्त भूमि से कोई वास्ता नही है। उक्त भूमि पर काफी बडे-बडे वृक्ष भी है। जिससे उक्त भूमि से वादीगण को जबरन बेदखल बलपूर्वक करने की नियत से प्रतिवादीगण वादीगण के साथ झगड़ा-फसाद करते है तथा मौके से बेदखल करने की धमकिया देते है। दिनांक 18.05.2020 को सभी प्रतिवादीगण दोपहर करीब 12:00 बजे लगभग मां-बहनों की बुरी-बुरी गाली गलौच करते हुए लट्ठ, कुल्हाड़ी, गेती, फावडा पत्थर से लेस होकर आये तथा वादीगण के कब्जे काश्त की भूमि की सीमा पर लगी हुई थूअर की बाड काटना शुरू कर दिया वादीगण के कब्जे काश्त के बीड में स्थित सागवान के वृक्ष काटकर ले जाने लगे। जिस पर वादीगण ने रोकने की कोशिश की जिससे नाराज होकर वादीगण को जान से मारने की धमकी दी जिसकी सूचना पुलिस को दी गई जिसकी छायाप्रति मूल दाव मे पेश की है। प्रतिवादीगण एक झगडालु प्रवृति के लोग है। वादीगण सीधे-साधे लोग है जिनको डरा धमका कर कभी भी बेदखल कर सकते है। इसलिए प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा रोका जावें। दौराने वाद किसी भी भूभाग पर प्रतिवादीगण द्वारा जबरन कब्जा कर लिया हो तो प्रतिवादीगण को पुनः बेदखल कर कब्जा वादीगण को सुपूर्द किया जावें।

हमने विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में पेश रिकार्ड का अवलोकन किया। वादग्रस्त भूमि वादीगण की पैतृक कृषि भूमि होकर दादा से विरासत से प्राप्त हुई है। वादीगण का वाद डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वादीगण का वाद डिक्री किया जाता है कि मौजा हीका की आराजी नम्बर 1046/507 रकबा 1.08 हेक्टर वादीगण के कब्जे काश्त की भूमि है बहक वादीगण एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय से की स्थाई निषेधाज्ञा ज़ारी की जाती है कि प्रतिवादीगण उक्त कृषि भूमि में वादीगण को काश्त करने तथा उपयोग-उपभोग में बाधा उतपन्न नही करे न ही अतिक्रमण करे। उक्त कृत्य स्वयं अथवा उनके रिश्तेदारों, एजेन्ट, नौकर, मित्र आदि से नही करावें। दौराने वाद उक्त भूमि पर बने मकान अथवा कृषि भूमि पर बलपूर्वक कब्जा कर लिया हो तो प्रतिवादीगण को बेदखल कर कब्जा वादीगण को सुपूर्द करे। डिक्री पर्चा अलग से जारी होकर वास्ते पालना हेतू तहसीलदार खैरवाड़ा को भेजा जावे।

निर्णय मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(राकेश कुमार न्योल)
उपखण्ड अधिकारी
खैरवाड़ा

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
खेरवाडा, जि. उदयपुर (राज.)

Scanned with CamScanner

डिगरी व मुकदमे इब्तादाई

(आदेश–02 रूल 6–7 जा. दी.)

अदालत– सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी–खैरवाड़ा जिला–उदयपुर (राज.)
व इजलास– श्री राकेश कुमार न्योल (R.A.S.)

1. श्री आशिष पुत्र स्व. रतिलाल जाति मीणा वगैरह निवासी हीका फला रिछिमेरा तहसील खैरवाडा जिला उदयपुर (राज.)
क्रम संख्या 01 से 04

बनाम

1. श्री मगन पिता धरमा जी मोडिया जाति मीणा वगैरह सभी निवासी अकोट तहसील खैरवाडा जिला–उदयपुर (राज.)
क्रम संख्या 01 से 06

दावा – वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 183, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
मुकदमा नम्बर– 21/2020 रा0 वाद

यह मुकदमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रूबरू– हमारे
मिनजानिब मुददायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है कि डिक्री किया जाता है कि मौजा हीका की आराजी नम्बर 1046/507 रकबा 1.08 हेक्टर वादीगण के कब्जे काश्त की भूमि है बहक वादीगण एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय से की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि प्रतिवादीगण उक्त कृषि भूमि में वादीगण को काश्त करने तथा उपयोग–उपभोग में बाधा उतपन्न नही करे न ही अतिक्रमण करे। उक्त कृत्य स्वयं अथवा उनके रिश्तेदारों, एजेन्ट, नौकर, मित्र आदि से नही करावें। दौराने वाद उक्त भूमि पर बने मकान अथवा कृषि भूमि पर बलपूर्वक कब्जा कर लिया हो तो प्रतिवादीगण को बेदखल कर कब्जा वादीगण को सुपूर्द करे। डिक्री पर्चा अलग से जारी होकर वास्ते पालना हेतू तहसीलदार खैरवाड़ा को भेजा जावे।

मुबलिक – बाबत – खर्चा इस –

मुकदमे

के मय सुद व शहर – फसदी सालाना आज की तारिख से तारिख

वसुलीणबी तक – का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारिख 10.03.2023

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर
खैरवाड़ा जिला–उदयपुर (राज.)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
खैरवाडा, जि. उदयपुर (राज.)

मुदई रूपय पैसा	मुदायत रूपया पैसा
स्टाम्प अरजी दावा 6/–रू	स्टाम्प अरजी वकालतनामा 2/–रू
स्टाम्प वकालतनामा 2/–रू	स्टाम्प अरजी
स्टाम्प वजह सबुत	स्टाम्प वजह सबुत
महनताना वकील (फा.)	
महनताना वकील (फा.)	
दाबत इजराय हुक्मनामा	बाबत इजराय हुक्मनामा
खर्चा गवाहान	खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर	फीस कमिश्नर
मुतफरिक 2/–रू	मुतफरिक
मीलानः– 10/–रू	मीजानः– 2/–रू

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
खैरवाडा, जि. उदयपुर (राज.)

Scanned with CamScanner